



2026:AHC:16060

उच्च न्यायालय, न्यायिक पीठ इलाहाबाद

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 2329 वर्ष 2026

मयंक त्रिपाठी

..... आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : रघुवंश मिश्र

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. सूची संशोधित की गई है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2. श्री रघुवंश मिश्र, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, श्री सौमित्र द्विवेदी, सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा श्री आर.पी. सिंह, विद्वान राज्य विधि अधिकारी को सुना गया तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया।
3. वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 70 वर्ष 2025, धारा 103(1), 109(1), 190, 191(2), 191(3), 351(3) भारतीय न्याय संहिता तथा धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम, थाना-सजेती, जनपद-कानपुर नगर में विचारण लंबित रहने के दौरान जमानत पर रिहा किए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।
4. अभियोजन कथा के अनुसार, आवेदक एवं अन्य पांच सह-अभियुक्तों द्वारा सूचनाकर्ता के भतीजे रवि यादव को गोली मारकर घायल किया गया तथा इसके पश्चात उसे घसीटकर आवेदक के घर ले जाया गया और पुनः दो गोलियां मारी गईं।
5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आवेदक पूर्णतः निर्दोष है तथा उसे वर्तमान प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। उसका उक्त अपराध से कोई संबंध नहीं है।
6. आगे यह तर्क दिया गया कि सूचनाकर्ता द्वारा वर्णित घटना कि आवेदक एवं अन्य सह-अभियुक्तों ने मृतक को घर के अंदर घसीटा, पंचनामा रिपोर्ट से असत्य सिद्ध होती है, क्योंकि आवेदक के घर के अंदर कोई रक्त के धब्बे या अन्य निशान नहीं पाए गए। बल्कि घटना स्थल आवेदक के घर के बाहर पाया गया।
7. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि पंचनामा रिपोर्ट में गंभीर विसंगति है, जिसमें यह उल्लेख है कि थाना को सूचना दिनांक 19.02.2025 को समय 18:11 बजे प्राप्त हुई। पंचनामा रिपोर्ट में मुकदमा अपराध संख्या अंकित नहीं है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्राथमिकी बाद में दर्ज की गई है। जांच अधिकारी द्वारा पंचनामा प्रारंभ करने का समय अंकित नहीं किया गया है, जबकि पंचनामा कार्यवाही

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



दिनांक 20.02.2025 को प्रातः 9:30 बजे पूर्ण की गई। पंचनामा रिपोर्ट में संलग्नक सूची में भी प्राथमिकी संलग्न नहीं है, जिससे यह स्थापित होता है कि पंचनामा के समय प्राथमिकी अस्तित्व में नहीं थी।

8. आगे यह भी तर्क दिया गया कि प्राथमिकी का उक्त संस्करण मृतक के परिजनों द्वारा दोहराया गया है। बाद में अभियोजन पक्ष द्वारा दो स्वतंत्र गवाह राहुल एवं लाल सिंह को प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने भी उक्त संस्करण का समर्थन किया। तथापि प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तीन गोलियां चलाई गईं, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में केवल एक गोली लगने की चोट पाई गई है, अर्थात् मृतक के माथे के बाएं भाग पर 6.5 सेमी ऊपर एक फटी हुई चोट पाई गई, जो प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों से मेल नहीं खाती।
9. आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक दिनांक 20.02.2025 से कारागार में निरुद्ध है तथा विचारण में सहयोग करने के लिए तैयार है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।
10. विद्वान राज्य विधि अधिकारी तथा सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना पत्र का जोरदार विरोध किया, किन्तु आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों का खंडन नहीं कर सके।
11. प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्क तथा अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुए तथा पंचनामा रिपोर्ट में उल्लिखित विसंगतियों एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में केवल एक गोली लगने की चोट पाए जाने के तथ्य को ध्यान में रखते हुए, जिससे प्राथमिकी के आरोप प्रथम दृष्टया

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



असत्य प्रतीत होते हैं, तथा वाद के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, प्रथम दृष्टया न्यायालय की राय है कि आवेदक जमानत का अधिकारी है। तदनुसार जमानत प्रार्थना पत्र **स्वीकृत** किया जाता है।

12. आदेशित किया जाता है कि आवेदक **मयंक त्रिपाठी**, जो उपर्युक्त मुकदमा अपराध में निरुद्ध है, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान धनराशि के व्यक्तिगत बंधपत्र एवं दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्न शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। रिहाई आदेश जारी करने से पूर्व जमानतदारों का सत्यापन किया जाएगा।

(i) आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों को दबाव/धमकी नहीं देगा।

(iii) आवेदक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

13. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर जमानत निरस्त करने का आधार होगा।

14. यह स्पष्ट किया जाता है कि जमानत प्रदान करते समय की गई टिप्पणियाँ विचारण न्यायाधीश को साक्ष्यों के आधार पर स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने में किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करेंगी।

दिनांक : 22 जनवरी, 2026

(कृष्ण पहल, न्यायमूर्ति)

शालिनी

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।